

न्यायालय तहसीलदार खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

निर्णय मिसल संख्या/नयाबत /32/20 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

सरकार

बनाम


श्री पूर्णमल पिता रामूराम जाति खाती निवासी लोयल तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनू।

निर्णय दिनांक:- 18 दिसम्बर 2020

पत्रावली पेश हुई। आवाज पर कोई हाजिर नहीं। आगे पत्रावली का अवलोकन किया तो जाहीर हुआ है, कि पटवारी हल्का लोयल के द्वारा इस आशय की रिपोर्ट पेश की गई है कि ग्राम लोयल स्थित राजकीय भूमि ख0न0 466 के रकबा 0.22 है0 में से रकबा 0.02 है0 किस्म गैर मुमकिन रास्ता में पत्थर डालकर अतिक्रमण कर श्री पूर्णमल पिता रामूराम जाति खाती निवासी लोयल के द्वारा अतिक्रमण कर लिया है।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के नाम सबूत एवं सुनवाई हेतु राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया। जारी नोटिस की तामिल विधिवत रूप से हुई है, जो सूचना हेतु पर्याप्त है। परन्तु आज कोई हाजिर नहीं। उसकी ओर से अन्य भी कोई हाजिर नहीं। कोई जवाब, सबूत आदि भी प्राप्त नहीं हुआ है। इस प्रकार गैर सायल के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही करने के अलावा अन्य कोई विकल्प नहीं है।

अतः गैर सायल की अदम हाजिरी में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर, मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रश्नगत भूमि पर अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किया जाता है। तथा सरह लगान 1 रुपया का 50 गुणा= 50 / रुपये तावान कायम एवं वसूल का आदेश दिया जाता है। टी0आर0ए0 एवं पटवारी हल्का को वसूली हेतु मांग कायमी करवाई जावे। भू अभिलेख निरीक्षक तथा पटवारी हल्का के नाम भौतिक मौका बेदखली हेतु आदेश जारी हो। पत्रावली फेसल सुमार होकर नम्बर से कम हो, तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।


तहसीलदार खेतड़ी
(राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)
जिला झुन्झुनू (राज0)

स. ले. सं. 4 वर्ष 2021
पृष्ठ नं. 29 परासी 50
कायम की गई।
तहसील राजस्व लेखाकार
24/12/20